International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2349-4218)
Impact- Factor 5.414 Volume 5, Issue 3, March 2018
Website- www.aarf.asia, **Email** : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

कश्मीर की समस्या और संयुक्त राष्ट्र संघ

डॉ0 प्रवीण कुमार सिंह
सहायक प्राध्यापक (अतिथि) शासकीय लरंगसराय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, रामानुजगंज (छ0ग0)

सारांश

पाकिस्तान का जन्म ही भारत के विरोध के परिणामस्चरूप हुआ है अतः जन्म से आज तक उसका भारत विरोधी रूख कायम है तथा उसके इस विरोध का मूल आधार 'कश्मीर' है। जम्मू कश्मीर एक बहुनस्लीय, बहुभाषीय और अनेक धर्मावलम्बी निवासियों का समाज है। यह इस्लामी पहचान का स्वयं निर्मित क्षेत्र नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान का दावा है। प्राकृतिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोण से देखने से भी यह प्रदेश जम्बूद्वीप के भारत खण्ड का भाग ही दिखाई देता है। कालान्तर में एशिया में अपनी भौगोलिक तथा सामरिक महत्ता के कारण वर्तमान जम्मू–कश्मीर राज्य विशेष महत्व का क्षेत्र बन गया है।

कीवर्ड : भारत, पाकिस्तान, जम्मू–कश्मीर

परिचय

15 अगस्त 1947 के विभाजन के फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में दो राज्यों भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना हुई। उस समय भारत में बहुत से देशी राज्य थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ विशेष संधियों के आधार पर कायम रखा गया था। स्वतंत्रता के पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने सभी देशी नरेशों को यह निर्देश दे दिया था कि वे अपनी रियासतों को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्वतंत्र उपनिवेश में मिला सकते हैं किन्तु उन्हें यह निर्णय 14 अगस्त 1947 के पहले ही ले लेना होगा।

जम्मू–काश्मीर इन्हीं तरह के रियासतों में से एक था जिसका शासक एक हिन्दू तथा जिसकी जनता का बहुमत मुस्लिम था। कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया।

उधर पाकिस्तान की मंशा कश्मीर को अपने साथ मिलाने की थी। इसके लिए पाकिस्तान ने कश्मीर पर आर्थिक दबाव डाला जिससे वह बाध्य होकर पाकिस्तान के साथ

© **Associated Asia Research Foundation (AARF)**
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

मिल जाय लेकिन जब इतने से भी पाकिस्तान को संतोष नहीं हुआ तो उसने दूसरा रास्ता निकाला।

गिलगिट से लेकर मीरपुर तक छिटपुट सैनिक मुठभेड़े शुरू कर दी गई थी ताकि राज्य की सेना इधर उधर बँट जाए। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान सरकार ने पूरी शक्ति से कबायलियों द्वारा जम्मू–कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया।

हमलावर कबायली बर्बतापूर्वक अपनी योजना को अंजाम देते हुए चार दिनों के अंदर श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला तक पहुँचने में कामयाब हो गए। भारतीय सेना के कमाण्डर इन चीफ को 24 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि कबायलियों ने मुजफ्फरपुर पर कब्जा कर लिया है।

हमले की नाजुक स्थिति को देखते हुए महाराजा हरी सिंह ने विवश होकर 26 अक्टूबर 1947 को लार्ड माउण्टबेटन को एक पत्र लिखा कि– ''मेरे राज्य की इस समय जो स्थिति है उसमें मेरे पास स्वतंत्रभारतसे सहायता माँगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह स्वाभाविक है कि जब तक मैं अपने राज्य का विलय भारत में नहीं करूगाँ, वे मेरे द्वारा मांगी गयी सहायता नहीं भेज सकते। अतः मैने वैसा ही करने का निर्णय लिया है और आपकी सरकार की स्वीकृति के लिए मैंने अधिमिलन पत्र संलग्न कर दिया है। माउण्टबेटन ने उसी दिन लिखा कि, 'महामहिम के विलय सम्बन्धी पत्र को देखते हुए आपके राज्य का भारत में अधिमिलन स्वीकार कर लिया गया है। मेरी सरकार की इच्छा है कि जैसे ही कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थापना हो जाय तथा हमलावरों को भगा दिया जाय, राज्य के अधिमिलन का प्रश्न जनमत द्वारा तय किया जाना चाहिए। इस बीच सैनिक सहायता की आपकी अपील मानकर भारतीय सेना को आपके प्रदेश की रक्षा करने के वास्ते कार्यवाही आज ही कर दी गई है।[1]

चूँकि कबायलियों का यह आक्रमण पाकिस्तान के मार्ग से ही हो रहा था जिसकी भारत सरकार को पूरी सूचना थी। अतएव भारत सरकार ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह कबायलियों का रास्ता बंद कर दे। इस सम्बन्ध में भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मि0 लियाकत अली के बीच वार्ता बिल्कुल अर्थहीन रही। पाकिस्तान जो कबायलियों को पीछे से समर्थन दे रहा था, अब खुलकर सामने आ गया।[2]

लार्ड माउण्टबेटन की समझ से दोनों देशों के मध्य वार्ता से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं था। उनका यह भी मानना था कि अगर कोई सामाधान नहीं निकाला जा सका तो दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है। अतः उन्होंने पं0 नेहरू एवं महात्मा गाँधी को सलाह दिया कि वे इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाये।[3]

चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत दर्ज कराने से पहले दूसरे पक्ष को भी सूचित करना आवश्यक था। इसलिए पं0 नेहरू ने 22 दिसम्बर 1947 को दिल्ली में आयोजित संयुक्त रक्षा परिषद की बैठक में श्री लियाकत अली को एक पत्र व्यक्तिगत रूप से दिया।

नेहरू जी के इस पत्र में पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया था कि 'हमलावरों को आवागमन के लिए पाकिस्तानी क्षेत्र के उपयोग की सुविधा दी गई है और उनके द्वारा कश्मीर में जो विध्वंशक अस्त्र–शस्त्र जैसे तोपें और अन्य हथियारों का प्रयोग किया गया था, वे सिर्फ पाकिस्तान द्वारा ही उपलब्ध कराए जा सकते है। अति विश्वस्त सूत्रों से हमें यह भी मालूम हुआ है कि परिवहन के लिए गाड़ियाँ एवं पेट्रोल की आपूर्ति भी पाकिस्तान द्वारा की गई है। यहाँ तक कि हमलावरों को भोजन तथा खाद्य सामग्री भी पाकिस्तान के सैनिक भोजनालयों से प्राप्त कराया गया है। भारी संख्या में हमलावरों को निर्देशन तथा प्रशिक्षण भी पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों द्वारा दिया जाता है।''[4] अतः भारत ने पाकिस्तान सरकार से मांग किया कि वह –

1. कश्मीर के आक्रमणकारियों को दी जा रही सुविधाएँबंद कर दें
2. सभी प्रकार की आपूर्ति एवं सैनिक सहायता बंद कर दे और
3. हमलावरों को प्रशिक्षण का सहयोग देना बंद करे।

चूँकि भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला अतः प्रधानमंत्री नेहरू ने लार्ड माउण्ट बेटन की सलाह को मानते हुए 31 दिसम्बर 1947 को इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर में बर्बर हमलावरों द्वारा अधिकृत भूमि को मुक्त कराए बिना ही इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना भारत सरकार की एक भारी भूल थी जो कि बाद की घटनाओं से प्रमाणित भी हो गया। उसी दिन भारत सरकार को लियाकत अली खाँ का पत्र भी मिला जिसमें उन्होंने भारत सरकार पर बहुत सारे निराधार प्रत्यारोप लगाए। उन्होंने लिखा कि भारत सरकार पाकिस्तान को ही नष्ट कर

देना चाहती है तथा वह मुसलमानों के विनाश की नीति पर चल रही है। लियाकत अली खाँ ने भी राष्ट्र संघ से मांग किया कि वह भारत को ऐसा करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करे।

ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 34 और 35 के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद से यह शिकायत किया कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके अबायली लोग भारत के एक अंग जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर रहे हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शांति भंग हो सकती है।[5] भारत ने अपने प्रत्यावेदन में यह उल्लेख किया कि कश्मीर में कबायली आक्रमण पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा प्रेरित एवं प्रोत्साहित है।

अतःभारत सरकार सुरक्षा परिषद से आग्रह करता है कि वह पाकिस्तान सरकार को निम्नलिखित निर्देश दें :–

1. पाकिस्तान सरकार अपनी फौजों एवं नागरिकों को आक्रमकों का सहयोग करने से रोके।
2. जम्मू–कश्मीर में हमलावरों के साथ युद्ध में शामिल अपने नागरिकों को वापस बुला ले।
3. आक्रामकों को अपने भू–भाग का प्रयोग करने से रोकें तथा साथ ही साथ उन्हें सभी प्रकार की आपूर्तियाँ बन्द करें जिससे हमलावरों को संघर्ष को बढ़ाने में मदद मिल रहीं है।[6]

भारतसरकार के इस प्रत्यावेदन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था जम्मू–कश्मीर में युद्ध बंद हो जाय और ऐसा तभी हो सकता था जब कबायली लोग वहाँ से हट जाये। भारत सरकार के अनुसार यह युद्ध भारत की जमीन पर हो रहा था तथा भारत को यह पूरा अधिकार है कि वह आक्रामकों को अपने भू–भाग से खदेड़ दे।

भारत द्वारा लगाए गए सारे आरोपों का पाकिस्तान ने खण्डन किया। यही नहीं उसने भारत पर अनेक प्रत्यारोप लगाते हुए इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर का भारत में विलय वैधानिक नहीं है।

इस प्रकार सुरक्षा परिषद में एक ऐसा मसला पहुँचा जिसका इतिहास पश्चिमी राष्ट्रों की बेईमानी तथा अन्याय की कहानी है।[7] 15 जनवरी 1948 को सुरक्षा परिषद में इस मसले पर बहस प्रारंभ हो गई। भारत की ओर से श्री नारायण गोपाला स्वामी आयंगर ने भारत का

पक्ष प्रस्तुत किया जबकि पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व सर मोहम्मद जफरूल्ला खाँ द्वारा किया जा रहा था। मि0 आयंगर ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और सुरक्षा की दृष्टि से कश्मीर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है'' क्योंकि कश्मीर का भारत में विलय किसी दबाव के अन्तर्गत किया गया है।

उन्होंने भारत पर निम्नलिखित प्रत्यारोप भी लगाए–

1. वर्तमान कश्मीर की विवाद जड़े पंजाब की घटनाओं, जूनागढ़ पर अधिकार तथा पाकिस्तान के अन्य राज्यों की समस्याओं से जुड़ी हुई है।
2. भारत ने शुरू से ही मुसलमानों को नष्ट करने का एक अभियान चला रखा है।
3. भारत ने विभाजन को सिर्फ ऊपरी तौर पर स्वीकार किया है और वह इसे व्यर्थ करने पर तुला हुआ है।
4. भारत ने कश्मीर पर धोखाधड़ी एवं बलपूर्वक अधिकार कर लिया है।[8]

17 जनवरी 1948को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से यह घोषणा की गई कि श्री गोपाल स्वामी आयंगर और सर जफरूल्ला खाँ ब्रिटेन के राष्ट्रकुल मामलों के मंत्री श्री फिलिप नोयल बेकर के सुझाव पर एक समझौते के लिए सहमत हो गए है। मि0 नोयल बेकर ने यह सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि कश्मीर के शान्ति पूर्ण समाधान के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से मिले।[9] इस सुझाव से सहमत होकर आयंगर और सर जफरूल्ला खाँ सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष मि0 वान लांगहों (बेल्जियम) से मिले। मि0 लांगहों ने 20 जनवरी 1948 को घोषित किया कि भारत और पाकिस्तान एक संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग की नियुक्ति पर सहमत हो गए हैं, जो कश्मीर मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करेगा। सुरक्षा परिषद ने तीन सदस्यों के एक आयोग की स्थापना का फैसला किया जिसमें से एक सदस्य भारत की इच्छानुरूप होता, दूसरा सदस्य पाकिस्तान की। तीसरे सदस्य को भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर नियुक्त करेंगे।

इस आयोग की नियुक्ति में भारत ने चेकोस्लोवाकिया को, पाकिस्तान ने अर्जेन्टाइना को चुना, तीसरे सदस्य के लिए भारत–पाकिस्तान सहमत नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष वॉन लांगहो ने संयुक्त राज्य अमेरिका को इस आयोग का तीसरा सदस्य मनोनीत कर दिया। बाद में सुरक्षा परिषद ने दो सदस्यों कोलम्बिया और बेल्जियम

को भी शामिल कर दिया। इस प्रकार एक आयोग की स्थापना हुई जिसका नाम पड़ा– भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का आयोग (यू0 एन0 सी0 आई0 पी0) सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष वान लांगहों ने सं0 रा0 कमीशन आयोग के प्रस्ताव की घोषणा की। प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु निम्न थे।[10]

1. इस कमीशन को सुरक्षा परिषद द्वारा इसके लिए अधिकृत किया गया कि वह जल्दी जम्मू–कश्मीर जाए और वहाँ की स्थिति का अध्ययन करें तथा मध्यस्थ के रूप में कार्य करके समस्या के समाधान के लिए प्रयास करें।
2. यह कमीशन भारत की कश्मीर सम्बन्धी शिकायत के बारे में जानकारी प्राप्त करें और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों द्वारा बताई गयी स्थिति के विषय में जानकारी ले।
3. कमीशन अपना निर्णय बहुमत से तय करेगा तथा यह अपने कार्यो को भी अपने ढ़ंग से तय करेगा।
4. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इस कमीशन की आवश्यकतानुसार कर्मचारी एवं साधन उपलब्ध करांएगें।

इस प्रस्ताव में जनमत संग्रह, आक्रामकों को कश्मीर से बाहर निकालने तथा कश्मीर के भारत में विलय का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। सुरक्षा परिषद में हुई बहस तथा मि0 लांगहों से यह प्रकट हुआ कि भारत और पाकिस्तान के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है जिसमें दो मुख्य बिन्दु निम्नलिखित रहे–

1. पाकिस्तान की मांग थी जम्मू–कश्मीर राज्य में शेख अब्दुल्ला सरकार के स्थान पर एक पक्षपात रहित प्रशासन की व्यवस्था की जाय।

   यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि भारत सरकार ने पाकिस्तान की इस मांग को दृढतापूर्वक विरोध किया भारत ने यह प्रस्ताव रखा कि शेख अब्दुल्ला की अस्थायी सरकार के स्थान पर जम्मू–कश्मीर में एक मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया जाय, जो सं0 राष्ट्र संघ की देख रेख में राष्ट्रीय सभा के लिए चुनाव और जनमत संग्रह कराएगी।
2. पाकिस्तान ने सुझाव दिया कि सं0 राष्ट्र संघ कश्मीर से भारतीय सेना हटवाए किन्तु भारत का कहना था कि जम्मू–कश्मीर की आन्तरिक और वाह्य सुरक्षा के

लिए वहाँ भारतीय सेना की उपस्थिति अनिवार्य है और जब तक कश्मीर भारत का अंग है, भारत अपनी फौज वहाँ से नहीं हटाएगा।

19 मार्च 1948 को सुरक्षा परिषद में कश्मीर मसले पर फिर से बहस प्रारंभ हुई। पाकिस्तान ने कहा कि ''शेख अब्दुल्ला सरकार की देख रेख में तथा भारतीय सेनाओं की उपस्थिति में किये गये जनमत संग्रह को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता।[11] उसी दिन पाकिस्तानी अखबार 'दी डॉन' ने अपने सम्पादकीय में प्रकाशित किया कि– 'चीनी प्रस्ताव हर तरह से भारत के पक्ष में है और इससे पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला है।' सुरक्षा परिषद में भारतीय प्रतिनिधि मि0 गोपाल स्वामी आयंगर ने चीनी प्रस्ताव पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त किया लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव पर विचार के लिए पर्याप्त समय की मांग की, किन्तु यह प्रस्ताव इसलिए गिर गया क्योंकि पाकिस्तान ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव पर मत संग्रह भी नहीं किया गया।[12]

21 अप्रैल 1948 को सुरक्षा परिषद में बेल्जियम, कनाडा, चीन, कोलम्बिया, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।[13] जो लगभग मैक्नॉटन प्रस्ताव से मिलता जुलता था।

सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान तथा भारत के विरोध के बावजूद यह प्रस्ताव 21 अप्रैल 1948 को स्वीकृत कर लिया गया। हर पैराग्राफ पर मतदान हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 8 मत, विरोध में 1 मत तथा 2 मत तटस्थ रहें।[14] किन्तु 6 मई 1948 को भारत और पाकिस्तान दोनों ने 21 अप्रैल 1948 के प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त किया।

यूनाइटेड नेशन्स् कमीशन फार इंडिया एण्ड पाकिस्तान (यू0 एन0 सी0 आई0 पी0) की पहली बैठक 16 जून 1948 को जेनेवा में हुई। आयोग ने दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) से पत्राचार करने, संवाद स्थापित करने तथा दोनों देशों में जाने के सम्बन्ध में विस्तार से बहस किया।[15] संयुक्त राष्ट्र संघ का कश्मीर आयोग 7 जुलाई 1948 को करॉची पहुँचा और विदेश मंत्री सर जफरूल्ला खाँ से वार्ता किया। पाकिस्तान ने आयोग को बताया कि उसने नियमित सेना की तीन टुकड़ियों को कश्मीर में मई के मध्य में ही भेज दिया है। चेकोस्लोवाकिया के जोसफ कारबेल जो यू0 एन0 सी0 आई0 पी0 के अध्यक्ष थे ने लिखा कि पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार यह कदम शरणार्थियों की भीड़ को रोकने, भारतीय

सेना के बढाव को नियंत्रित करने तथा पश्चिमी पंजाब के दक्षिण भाग में पानी के प्रवाह को बरकरार रखने के लिए उठाया गया है। आशा के विपरीत उठाये गये इस कदम से आयोग चकित रह गया क्योंकि सुरक्षा–परिषद के प्रस्ताव में कश्मीर में पाकिस्तानी सेनाओं की उपस्थिति का कोई जिक्र ही नहीं था। इस बात का कमीशन के आगे के कार्यो पर बड़ा प्रभाव पड़ा।[16]4 अगस्त 1948 को पाकिस्तान सरकार ने आयोग को सूचित किया कि उसकी सेना आजाद कश्मीर में भी तैनात है। आयोग ने यह स्वीकार किया कि यह तथ्य परिस्थितियों में भारी परिवर्तन करता है तथा बिना शर्त युद्ध विराम को लागू करने के लिए बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। 10 जुलाई 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग नई दिल्ली पहुँचा और इसने सर गिरजाशंकर बाजपेयी, विदेश मामलों के महासचिव मि0 एम0 के0 वेलोडी, भारत की ओर से आयोग के लिए अधिकृत वार्ताकार सर राय बूचर, भारतीय सेना अध्यक्ष, लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा और मे0 जनरल थिमैया (कश्मीर में तैनात सैन्य अधिकारी) से भी वार्ताए की।

भारत सरकार ने आयोग के समक्ष दस्तावेजी सबूत पेश किये कि पाकिस्तानी सेना नियमित रूप से कश्मीर की गतिविधियों में शामिल है। प्रधानमंत्री पं0 नेहरू ने कहा कि ''पाकिस्तान का यह कार्य नैतिकता के सभी मानदण्डों, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और परम्पराओं के विरूद्ध ही नहीं बल्कि और भी गंभीर स्थिति पैदा कर रखा है।[17]

31 जुलाई 1948 को यह आयोग करॉची को लौट गया। आयोग से दो सदस्य अमेरिका के मेजर फ्रांसिस स्मिथ तथा बेल्जियम के मि0 हेरी ग्रैफे कश्मीर में युद्ध सम्बन्धी स्थितियों का अध्ययन करने के लिए चले गये। अगस्त 1948 में कमीशन ने करॉची और दिल्ली को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिसमें कहा गया था कि युद्ध विराम के लिए आयोग की राय के पश्चात कुछ संधियों पर सहमत होना पड़ेगा ताकि जनमत संग्रह कराया जा सके।[18]

13 अगस्त 1948 के कश्मीर के सम्बन्ध में ये प्रस्ताव अति महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव के कुछ मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है–

1. (अ)इन प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए भारत और पाकिस्तान की सरकारें चार दिनों के अंदर जम्मू–कश्मीर में अपनी सेनाओं को युद्ध–विराम के लिए आदेश देने के लिए सहमत हों।

(ब) भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के उच्चाधिकारी जम्मू–कश्मीर में कोई भी कार्यवाही करने से परहेज करेंगे।

(स) भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष युद्ध–विराम को सरलतापूर्वक लागू करने के लिए आपस में बराबर संपर्क करते रहेंगे।

(द) आयोग अपनी सुविधानुसार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा जो दोनों सेनाध्यक्षों के सहयोग से युद्ध–विराम की स्थिति का आकलन करते रहेंगे।

(च) भारत और पाकिस्तान की सरकारे अपनी जनता से अपील करेंगी कि दोनों देशों के सम्बन्धों को सुधारने में सहयोग करें।

2. इसी के साथ प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए वैमनस्य को समाप्त करने के लिए दोनों सरकारे एक समझौता करेगी जिसके लिए कमीशन और दोनों देशों के प्रतिनिधि विचार करेंगे।

(अ–1) पाकिस्तान सरकार अपनी सेनाओं को जम्मू–कश्मीर से वापस बुला लेगी।

(अ–2) पाकिस्तान की सरकार अपनी पूरी शक्ति से जम्मू–कश्मीर में उपस्थित कबायलियों तथा पाकिस्तानी नागरिकों को जो संघर्ष के लिए जम्मू–कश्मीर में घुसे हुए हैं, उन्हें वापस बुलाएगी।

(अ–3) जब तक कोई अन्तिम समाधान न कर लिया जाय पाकिस्तानी सेना द्वारा खाली किए गये क्षेत्र का प्रशासन स्थानीय अधिकारियों तथा आयोग की देख–रेख में रहेगा।

(ब–1) भाग दो के अनुसार पाकिस्तानी सेनाओं और कबालियों द्वारा जम्मू–कश्मीर खाली कर दिए जाने के पश्चात् भारत सरकार भी अपनी सेनाओं की धीरे–धीरे वापसी सुनिश्चित करेगी।

(ब–2) जब तक जम्मू–कश्मीर में कोई अन्तिम व्यवस्था स्वीकार नहीं कर ली जाती भारत सरकार कम से कम सैनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून–व्यवस्था स्थापित करने में स्थानीय अधिकारियों की सहायता करेगी। जहाँ तक आवश्यकता होगी, आयोग के निरीक्षक भी तैनात किये जायेंगे।

(ब–3) भारत सरकार द्वारा जम्मू–कश्मीर की जनता को शान्ति और व्यवस्था तथा कानून की सुरक्षा का आश्वासन दिया जायेगा और सभी मानवीय और राजनैतिक अधिकार उन्हें उपलब्ध कराया जायेंगा।

(स–1) इस सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद दोनों सरकारों तथा आयोग द्वारा स्वीकृत किये गये सिद्धान्त सार्वजनिक कर दिये जायेंगे।

3. भारत और पाकिस्तान की सरकारें कश्मीर का भविष्य वहाँ की जनता के इच्छा के अनुसार निर्धारित करने का वचन देगी और यह समझौता लागू होने के बाद कमीशन के सहयोग से यह प्रयास करेंगी कि कश्मीर के लोगों की इच्छा का सम्मान किया गया है। इस प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के साथ ही कमीशन के कार्य का प्रथम चरण पूरा हुआ।

20 अगस्त 1948 को भारत सरकार ने कमीशन के सुझावों को स्वींकार कर लिया और यह आश्वासन दिया कि पहले तो कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा तथा आजाद कश्मीर की सेनाओं द्वारा खाली किये गये क्षेत्र में कश्मीर सरकार की सत्ता बहाल की जायेगी। दूसरे कश्मीर में जनमत कराने में पाकिस्तान की कोई सहभागिता नहीं होगी।[19]

6 सितम्बर 1948 को पाकिस्तान ने भी यू0 एन0 सी0 आई0 पी0 के 13 अगस्त 1948 को सर मोहम्मद जफरूल्ला खाँ ने आयोग से कहा कि पाकिस्तान इन प्रस्तावों को इस शर्त के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार है कि भारत सरकार जम्मू–कश्मीर में 'साफ–सुथरे और निष्पक्ष' ढ़ंग से जनमत संग्रह करायेगी।

30 सितम्बर 1948 को राष्ट्रसंघ कश्मीर आयोग जेनेवा पहुँच गया, और 23 नवम्बर 1948 को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट सुरक्षा–परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि – जम्मू–कश्मीर में पाकिस्तान की नियमित सेनाएँ मौजूद है और लड़ाई में भाग ले रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के दुराग्रह के कारण युद्ध विराम नहीं लागू किया जा सकता। यद्यपि भारत सरकार ने प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है किन्तु कुछ ऐसी शर्तो ने जो प्रस्ताव के दायरे के बाहर हैं, तत्काल युद्ध विराम लागू करना, समस्या का पूर्ण समाधान तथा शान्ति बहाल करने के लिए विचार–विमर्श के प्रयास को असम्भव बना दिया है।[20] रिपोर्ट में भारतीय तथा पाकिस्तान सरकार और आजाद कश्मीर–आन्दोलन के

प्रतिनिधियों से बात–चीत का ब्यौरा भी दिया गया। कमीश्न का यह भी प्रस्ताव था कि शान्ति की स्थापना हो जाने के बाद आयोग और जनमत संग्रह प्रशासक सक्षम अधिकारियों से सलाह करके सशस्त्र सेनाओं को वहाँ से हटाने तथा शरणार्थियों को उनके घरों को वापस करने की व्यवस्था करेंगे। जनमत संग्रह प्रशासक की सहायता के लिए भारत और पाकिस्तान अलग–अलग आयोग नियुक्त करेंगे। सभी प्रकार के राजनीतिक व मानवीय अधिकार सुरक्षित रखें जायेगें ताकि एक जनातंत्रिक जनमत संग्रह कराया जा सके। राष्ट्र संघ आयोग जनमत संग्रह की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को प्रमाणित करेगा।[21]

कमीशन ने भारत का यह सुझाव भी मान लिया था कि मतभेद की स्थिति में कमीशन का एक सदस्य भारत और पाकिस्तान को प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत और पाकिस्तान में डॉ0 लोजानों को भेजा गया। डॉ0 लोजानों और भारतीय तथा पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के बीच लम्बी वार्ताए हुई और इसके फलस्वरूप दोनों सरकारों ने कमीशन के प्रस्ताव को 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम के लिए आदेश जारी कर दिए। इस सम्बन्ध में डॉ0 ए0 लोजानों ने भारत और पाकिस्तान को निम्नलिखित आदेश दिया–

1. जनमत संग्रह प्रशासक केवल जनमम संग्रह का कार्य कराएगा तथा उसका कश्मीर राज्य की सेना और पुलिस पर कोई अधिकार नहीं होगा।
2. जनमत संग्रह प्रशासक पर कश्मीर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा।
3. यह प्रशासक केवल भारत पाकिस्तान की सरकारों से राय लेने के बाद ही नियुक्त किया जायेगा।
4. आजाद कश्मीर के सैनिक निःशस्त्र किए जाऐगें।

5 जनवरी 1949 को यू0 एन0 सी0 आई0 पी0 ने एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो 11 दिसम्बर 1948 के प्रस्ताव से मिलता जुलता था और जिसे भारत ने 23 दिसम्बर एवं पाकिस्तान ने 25 दिसम्बर को स्वीकार भी किया था। भारत और पाकिस्तान सरकार द्वारा 1 जनवरी 1949 की मध्यरात्रि के एक मिनट पहले ही युद्ध–विराम लागू किए जाने की संयुक्त राष्ट्र आयोग ने प्रशंसा की तथा यह तय किया कि उपमहाद्वीप में अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए 13 अगस्त 1948 के प्रस्ताव में निहित सिद्धान्तों को मूर्त रूप दिया जाय।

राष्ट्रसंघ आयोग यू0 एन0 सी0 आई0 पी0 ने अपने दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट 13 जनवरी 1949 को सुरक्षा परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में आयोग ने यह बताया था कि भारत और पाकिस्तान सरकार ने आयोग के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है तथा 1 जनवरी 1949 की अर्द्धरात्रि से युद्ध–विराम लागू कर दिया है। 12 मार्च 1949 को यह घोषणा की गई कि भारत और पाकिस्तान में सिद्धान्ततः एक सीमा रेखा निर्धारित करने के बारे में एक समझौता हो गया है। बाद में यह भी घोषणा की गयी कि यह सीमा रेखा सेनाध्यक्षों और राष्ट्रसंघ के पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित की जायेगी।

21 मार्च 1949 को राष्ट्रसंघ महासचिव मि0 त्रिग्वी ली ने लेक सक्सेस से घोषणा किया कि नौ सेनाध्यक्ष चेस्टर एन0 निमिट्ज कश्मीर में जनमत संग्रह प्रशासक नियुक्त किए गये है। उनकी नियुक्ति से पूर्व कश्मीर सरकार से इसकी पुष्टि कराई जानी आवश्यक थी। संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग ने एक संसूचना प्रकाशित की जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह प्रशासक के रूप में एडमिरल निमिट्ज की नियुक्ति का उल्लेख किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग ने भारतीय तथा पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से दिल्ली और करांची में मार्च तथा अप्रैल के महीने में कई बैठके की।

यद्यपि भारत और पाकिस्तान में निम्नलिखित बिन्दुओं पर मतभेद नजर आए–

1. आजाद कश्मीर की सेना को निःशस्त्र एवं भंग करना।
2. जनमत संग्रह कराने के दौरान स्थानीय अधिकारियों द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्रकृति।
3. उत्तरी कश्मीर में सीमा रेखा का निर्धारण।

चूँकि भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों द्वारा किसी समझौते पर नहीं पहुँचा जा सका इसलिए कमीशन ने 15 अप्रैल 1949 को अपना स्वंय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।[22] इन प्रस्तावों में युद्ध विराम रेखा का निर्धारण तथा इसका जम्मू–कश्मीर के उत्तरी भागों तक विस्तार, पाकिस्तानी सैनिकों तथा भारतीय टुकड़ियों को हटाया जाना, पाकिस्तान द्वारा खाली किए गये क्षेत्रों में आयोग की देख–रेख में प्रशासन, युद्धबन्दियों की रिहाई कानून और व्यवस्था की स्थापना तथा मानवाधिकारों की गारंटी का उल्लेख था।[23]

चूँकि ये प्रस्ताव किसी भी पक्ष को मंजूर नहीं थे। अतः आयोग ने 28 अप्रैल 1949 को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। ये ताजे प्रस्ताव 13 अगस्त 1948 के प्रस्ताव के भाग दो पर आधारित थे।

26 जुलाई 1949 को भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में नियंत्रण रेखा के सम्बन्ध में एक समझौता हो गया और उसी दिन शान्ति उपसमिति द्वारा इस सम्बन्ध में एक घोषणा भी कर दी गयी। दोनों प्रतिनिधि मण्डलों ने दक्षिण में मनावर क्षेत्र से और उत्तर में किरान तक तथा गुरेज के निकट एक पर्वत चोटी से मसोल तक एक सीमा रेखा का निर्धारण किया है।[23] दोनों प्रतिनिधि मण्डलों ने यह भी स्वीकार किया कि क्षेत्र में सैनिकों की और वृद्धि नही की जायेगी। भारत और पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर में युद्ध विराम रेखा को औपचारिक रूप से 30 जुलाई 1949 को स्वीकार किया। समझौते के मुख्य बिन्दुनिम्नलिखित थे–

1. युद्ध विराम रेखा से सेनाए पाँच सौ गज की दूरी पर रहेंगी।
2. सीमा–रेखा के पास के मुख्य केन्द्र किसी भी पार्टी के अधिकार में होगें लेकिन दूसरे पक्ष के सैनिक उससे पाँच सौ गज की दूरी पर रहेंगे।
3. दोनों पक्ष अपनी रक्षापंक्ति युद्ध विराम रेखा के हिसाब से तय कर लेगें। क्षेत्र में सेना का जमाव और अतिरिक्त सैनिक सामग्री जमा नहीं की जायेगी।
4. इस सीमा रेखा का सत्यापन स्थानीय अधिकारियों द्वारा राष्ट्रसंघ सैनिक पर्यवेक्षक की भी सहायता से किया जायेगा। उस स्थिति में जब दोनों पक्षों में सामन्जस्य न हो सके तो आयोग के सैनिक सलाहकार का निर्णय अन्तिम होगा।
5. दक्षिणी मिनी मार्ग से युद्ध विराम रेखा तक कोई सैनिक हलचल नहीं होगी और न ही कोई ठिकाना ही बनाया जायेगा।

उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान में मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर मतभेद है–

1. आजाद कश्मीर सेना को भंग करना
2. क्षेत्र का असैनिकीकरण करना तथा
3. उत्तरी क्षेत्र को लेकर।

21 फरवरी 1951 को सुरक्षा परिषद में पुनः कश्मीर प्रश्न पर बहस प्रारंभ हुई। सुरक्षा परिषद ने ब्रिटेन और अमेरिका के एक संयुक्त प्रस्ताव को पास करते हुए सर ओवेन डिक्शन

के उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का फैसला किया। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने संयुक्त प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद को प्रेषित करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर राज्य में सर डिक्शन के स्थान पर दूसरे संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाय जो कश्मीर से भारत और पाकिस्तान की सेनाओं को हटाकर जनमत संग्रह का रास्ता तैयार कर सके।

इसी उद्देश्य से 30 अप्रैल 1951 को एक अमेरिकी को डॉ0 फ्रैंक ग्राहम को जम्मू कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ग्राहम भी कश्मीर समस्या को सुलझाने का प्रयास करते रहें उन्होंने कई प्रस्ताव रखे लेकिन दोनों पक्षों को ये प्रस्ताव मान्य नहीं थे। 27 मार्च 1953 को डिक्शन की भाँति फ्रैंक ग्राहम ने भी अपनी अन्तरिम रिपोर्ट सुरक्षा परिषद को प्रस्तुत किया और सुझाव दिया कि भारत और पाकिस्तान प्रत्यक्ष वार्ता करके समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। तत्पश्चात ग्राहम के सुझाव के अनुसार दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच लन्दन, करॉंची और नई दिल्ली में कश्मीर को लेकर वार्ताएं हुई। वार्ताओं में यह तय किया गया कि 1954 में जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाय जो एक जनमत संग्रह प्रशासक की देख–रेख में सम्पन्न होगा। किन्तु जनमत संग्रह प्रशासक की नियुक्ति को लेकर भी दोनों पक्षों में कोई समझौता न हो सका। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों में पत्र व्यवहार होता रहा।

इधर भारतीय संविधान सभा जम्मू कश्मीर के लिए संविधान में धारा 370 जोड़ी जा चुकी थी जिनके द्वारा कश्मीर के मामले में कुछ विशेष प्रावधान किए गये थे। इन्हें अस्थायी और संक्रमण कालीन बताया गया था। इसके पीछे कारण क्या था इसके लिए दो विपरीत तर्क दिए जा सकते हैं– पहला तो यह कि कश्मीर के धीरे–धीरे बाकी राज्यों की स्थिति में आने की उम्मीद थी जब विशेष प्रावधानों की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा यह कि, चूँकि विलय का मामला अभी तक सुलझा नहीं था अतः स्थायी उपबन्ध क्यों किए जाते।

जुलाई 1952 में नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें धारा 370 को और अधिक स्पष्ट करते हुए उसे स्थायी स्वरूप दिया गया। इसे 'दिल्ली समझौते' के नाम से जाना जाता है। किन्तु शेख अब्दुल्ला अभी भी संतुष्ट नहीं हुए शायद उनकी वे उम्मीदें पूरी होती नहीं दिख रही थी जिन्हें लेकर वे कश्मीर के भारत में विलय पर राजी हुए थे। नेहरू जी को भी यह आभास हो गया था कि शेख अब्दुल्ला मे बदलाव आया था। दो पुराने मित्रों में दूरियाँ बढ़ रहीं थी। शेख ने नेहरू जी पर आरोप लगाया था कि

नेहरू ने उनके ही सहकर्मी बख्शी गुलाम मोहम्मद को छिपा प्रश्रय दिया और यह बात तब उजागर हुई जब 1953 में श्रीनगर में जेल में श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बाद शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया तथा बक्शी गुलाम मोहम्मद को जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री बनाया गया।

कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि ग्राहम के सुझाव के अनुसार प्रधानमंत्रियों की वार्ताए चल रही थीं किन्तु इसी बीच कश्मीर समस्या के स्वरूप में आमूल परिवर्तन हो गया। कुछ नये तत्व दक्षिण एशिया की राजनीति में प्रवेश कर गये जिसने भारत और पाकिस्तान के अन्य पहलुओं को तो छुआ ही बल्कि दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों में गुणात्मक परिवर्तन कर दिया। इस एकाएक हुए परिवर्तन ने जम्मू कश्मीर विवाद को बातचीत के द्वारा हल करने में असुविधाएँ उत्पन्न कर दीं। अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना शुरू कर दिया और पाकिस्तान तथा अमेरिका में संधि भी हो गई। इस संधि के अनुसार पाकिस्तान ने अपने कुछ अड्डे अमेरिका का दे दिए। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने से संपूर्ण क्षेत्र में एक राजनीतिक संतुलन कायम हो गया और यह सब भारत के विरूद्ध था। भारत का मत था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हस्तगत करने के लिए अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने मे लगा हुआ है।

इसी बीच जम्मू कश्मीर के संविधान परिषद ने यह निर्णय ले लिया कि 26 जनवरी 1957 से कश्मीर भारत के साथ अन्तिम रूप से सम्मिलित हो जाएगा तब जनमत संग्रह का कोई मूल्य नहीं रह गया था। पाकिस्तान के पश्चिमी गुट में शामिल हो जाने के कारण जनमत संग्रह के प्रस्ताव का मुख्य आधार ही नष्ट हो चुका था।

पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर जद्दोजहद चलती रही। 1959 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ ने सुझाव दिया कि भारत एवं पाकिस्तान दोनों को संयुक्त सुरक्षा परिषद के जरिए इस समस्या को सुलझा लेना चाहिए।[24] परन्तुभारत के प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू ने इसे मानने से इंकार कर दिया क्योंकि वे इस तरह के सैनिक गठजोड़ के विरूद्ध थे।[25] पाकिस्तान अब यह समझ चुका था कि इस वक्त भारत से कश्मीर को लेकर बातचीत करने का कोई लाभ नहीं होने वार्ता है उसने अपना ध्यान चीन से उसके सम्बन्धों पर लगाना शुरू कर दिया।

1952 का भारत–चीन युद्ध भारत–पाक सम्बन्धों में नया मोड़ लाता है तथा इस युद्ध के प्रारंभ से ही कश्मीर की समस्या में नयी सरगर्मी आयी। फरवरी 1953 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक संधि कर ली और अधिकृत कश्मीर का एक बड़ा भाग चीन को दे दिया। पाकिस्तान का ऐसा करना हर तरह से अपनी शत्रुता को दर्शाता है। भारत ने विरोध किया क्योंकि भारत का मानना था कि पाकिस्तान तो स्वंय कश्मीर में आक्रमक है तो उसे किसी दूसरे देश के साथ कश्मीर को लेकर समझौता करने का कोई अधिकार कैसे हो सकता है। भारत ने इसकी सूचना सुरक्षा परिषद को भेज दी। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर जो वार्ताए हो रही थी, समाप्त हो गयीं। 1964 में हजरत बल काण्ड (23 दिसम्बर 1963) को लेकर फिर से कश्मीर समस्या का नया अध्याय हो गया।

ध्यान से देखा जाय तो स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान एक तरह से युद्ध बन्द करना ही नहीं चाह रहा था। पिछले अनुभवों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान की तीनों शर्ते ऐसी थी जिन्हें भारत किसी भी स्तर पर नहीं मान सकता था। ये तीनों शर्ते इस बात को प्रमाणित करती है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मानने से बिल्कुल इंकार करता है। बहरहाल, सितम्बर में ही महासचिव नई दिल्ली पहुँच गए और वहाँ भी उन्होंने दोनों देशों से तुरंत युद्ध बंद करने का प्रस्ताव रखा। भारत ने यह स्पष्ट करते हुए कि वह अपनी प्रादेशिक अखण्डता बनाये रखने के लिए स्वतंत्र हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को अन्तिम रूपसे अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार हमेशा की तरह यूथान्त को भी असफलता ही मिली। उन्होंने न्यूयार्क पहुँचकर सुरक्षा परिषद में अपनी रिपोर्ट पेंश करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने युद्ध–विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

इसी क्रम में 18 सितम्बर को इस प्रश्न को लेकर सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक भी हुई। यूथान्त ने सुरक्षा परिषद से मांग किया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 40 के अधीन सुरक्षा परिषद भारत और पाकिस्तान को लड़ाई बंद करने के आदेश दें और उनके न मानने पर उनके विरूद्ध धारा 36 के अधीन कार्यवाही की जाय। सोवियत संघ द्वारा भी भारत का पक्ष लिया गया और सुरक्षा परिषद में उसके प्रतिनिधि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह चेतावनी दी कि भारत और पाकिस्तान में संघर्ष से उन्हीं लोगो को लाभ पहुँच सकता है जो एक विस्तारवादी एवं नापाक नीतियों से कार्य करते हैं और विश्व की जनता में नापाक इरादों से

फूट डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान में संघर्ष के कारण एशिया में तनाव बढ़ गया है और यह संघर्ष दूसरों को भी नुकसान पहुँच सकता है। वियतनाम में जो अमेरिकी आक्रमण से गंभीर स्थिति बनी हुई है वह और भी गंभीर हो गई है अतः सोवियत संघ भी चिन्तित है। अमेरिका तथा ब्रिटेन ने भी युद्ध–विराम का समर्थन किया। केवल जार्डन ऐसा देश रहा जिसने पाकिस्तान का साथ देते हुए कश्मीर समस्या के हल की बात कही थी। 20 सितम्बर को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया जिसे नीदरलैण्ड ने प्रस्तावित किया था। सुरक्षा परिषद ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को आदेश दिया कि वे बुधवार को साढ़े बारह बजे से युद्ध बन्द करने का आदेश जारी कर दें तथा अपने सभी सैनिक उन स्थलों पर वापस हटा ले जहाँ वे 15 अगस्त 1965 में थे।

सुरक्षा परिषद ने फिर भारत के साथ अन्याय किया उसने आक्रामक और आक्रान्ता को एक ही स्तर पर रखा। उसे दोनों देशों को यह आदेश नहीं देना चाहिए था। चूँकि युद्ध की शुरूआत पाकिस्तान द्वारा की गयी थी इसलिए युद्ध विराम का आदेश केवल पाकिस्तान को ही देना चाहिए था। पाकिस्तान ने ही आक्रमण भी किया था तथा वहीं सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर रहा था फिर भारत के साथ ऐसा व्यवहार खटकने वाला था।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने तो भारत–पाकिस्तान के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए तथा अच्छे समबन्ध बनाने के लिए बहुत प्रायास किए लेकिन पाकिस्तान ने उनके कार्यो को असफल बनाया। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा राष्ट्रसंघ महासचिव यूथान्त के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ था उससे यह स्पष्ट है कि भारत तो शान्ति के निमित्त युद्ध विराम के लिए तैयार था किन्तु पाकिस्तान के दुराग्रही शर्तो के कारण यह संभव नहीं हो सका।[26]

अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की शोध पद्धित आँकड़ों, दस्तावेजों तथा सारणी पर आधारित है।

निष्कर्ष

सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव में कश्मीर के राजनीतिक समस्याओं के समाधान की भी बात कहीं जो बिल्कुल अप्रसांगिक था क्योंकि कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है उस पर भारत की प्रभुसत्ता को लेकर विवाद उठाया ही नहीं जा सकता। परिषद के इस रूख से स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद गुटों के आधार पर बंटी हुई है तथा वहाँ निर्णय अपने राजनीतिक

स्वार्थो को ध्यान में रखकर किए गये। भले ही भारत के लिए यह स्थिति विकट थी और इस प्रस्ताव को स्वीकार करना बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा था चूँकि भारत को हमेशा से ही शान्ति अच्छी लगती रही है इसलिए उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान ने इसे 20 सितम्बर को स्वीकार कर किया था इसलिए युद्ध विराम का समय और बढ़ा दिया गया और 23 सितम्बर को सुबह साढ़े तीन बजे दोनों देशों ने युद्ध बंद कर दिया। भारत के साथ न्याय तो नहीं हुआ लेकिन उन परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को बंद करा देना सुरक्षा परिषद की बड़ी सफलता कही जाएगी।

संदर्भ सूची

1. जगमोहन, माई फ्रोजेन टर्बुलेन्स इन कश्मीर
2. मंथन, भाग एक : 1988–89 पृ0 47
3. के0 के0 मिश्रा, कश्मीर एण्ड इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी
4. के0 के0 मिश्रा कश्मीर एण्ड इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी
5. के0 के0 मिश्रा कश्मीर एण्ड इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी
6. यू0 एन0 डाकूमेन्ट एस / 628
7. डॉ0 एन वर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
8. यू0 एन0 डाकूमेन्ट्स, एस0 /पी0 वाल्यूम 228–229, 16–17 जनवरी 1948, पृ0 37–96
9. के0 के0 मिश्रा कश्मीर एण्ड इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी
10. यू0 एन0 डाकूमेन्ट एस /654 एण्ड एस0/पी0वी0 209–230
11. लीडर, 20 मार्च 1948
12. यू0 एन0 डाकूमेन्ट एस /पी0 वी0 284 (चीन के डॉक्टर, टी0 एफ0 सियांग ने इस प्रस्ताव को 18 मार्च 1948 को प्रस्तुत किया।
13. यू0 एन0 डाकूमेन्ट एस /726, अप्रैल 21, 1948
14. ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन, अर्जेन्टाइना, बेल्जियम, कनाडा और कोलम्बिया पक्ष में, सीरिया और रूस विपक्ष में, तथा यूक्रेन तटस्थ रहे।
15. के0 के0 मिश्रा कश्मीर एण्ड इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी
16. जोसेफ कार्बेल, दि कश्मीर डिस्प्यूट एण्ड दि यूनाइटेड नेशन्स, इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन, वाल्यूम 3, 1946 पृ0 280
17. देखे, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, यूनाइटेड नेशन्स कमीशन फॉर इण्डिया एण्ड पाकिस्तान पृ0 7–8
18. कीसिंग्स कन्टेम्पोरेरी आर्काइब्स, वाल्यूम7, 1948–50 पृ0 9664
19. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, यू0 एन0 कमीशन फॉर इण्डिया एण्ड पाकिस्तान पृ0 8–9
20. कीसिंग्स कन्टेम्पोरेरी आर्काइब्स, वाल्यूम 7, 1948–50, पृ0 19665
21. जोसेफ कार्बेल, दि कश्मीर डिस्प्यूट एण्ड दि यूनाइटेड नेशन्स, इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन, वाल्यूम 3, 1949 पृ0–285

22. यू0 एन0 डाकूमेन्ट एस /1430/एडीडी0 –1 एनेक्स–21

23. जर्नल ऑफ इन्टरनेशनल आर्गनाइजेशन, वाल्यूम 4, 1950

24. दि डॉन, 25 सितम्बर1956

25. दि स्टेट्समेन, 3 नवम्बर 1956

26- दीनानाथ वर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध